

स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर

एकमुरत समाधान योजना

(ओ० टी० एस०) के अन्तर्गत

दण्ड ब्याज/अतिरिक्त ब्याज में छूट का लाभ उठावें

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा संचालित योजनाओं में आवंटित समस्त प्रकार की सम्पत्तियों (आवंटन पद्धति से एवं नीलामी पद्धति से आवंटित), किराया क्रय पद्धति/नकद पर आवंटित आवासीय सम्पत्ति, ग्रुप हाउसिंग की सम्पत्तियों, समस्त प्रकार की सरकारी संस्थाओं को आवंटित सम्पत्तियों एवं स्कूल भूखण्डों, चैरिटेबुल संस्थाओं को रियायती दर पर आवंटित सम्पत्ति तथा समस्त प्रकार की व्यवसायिक, सहकारी आवास समितियों को आवंटित सम्पत्तियों के डिफाल्टर आवंटियों के प्रकरणों को विनियमित करने हेतु वन टाइम सेटलमेन्ट योजना लागू की गयी है। अतएव परिषद के समस्त आवंटियों को सूचित किया जाता है कि ओ.टी.एस. योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय में शीघ्र औपचारिकताएं पूर्ण कर आवेदन जमा करके प्राप्ति रसीद प्राप्त कर लें। आवेदन-पत्र के साथ जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	सम्पत्तियों का प्रकार	प्रोसेसिंग फीस (रु०)	ओ.टी.एस. आवेदन पत्र के साथ जमा की जाने वाली प्रारम्भिक धनराशि (रु०)	अभ्युक्ति
1-	ई.डब्लू.एस. भवन/भूखण्ड	100/-	5,000/-	ओ.टी.एस. आवेदन पत्र के साथ जमा की जाने वाली धनराशि आगणित लागत/ देय धनराशि में समायोजित हो सकेगी परन्तु प्रोसेसिंग फीस ओ.टी.एस. का मात्र शुल्क है, इसे किसी भी देय धनराशि में समायोजित नहीं किया जायेगा।
2-	एल.आई.जी. भवन/भूखण्ड	500/-	10,000/-	
3-	अन्य श्रेणी की आवासीय एवं मिक्स्ड लैण्डयूज की सम्पत्तियों तथा व्यवसायिक निर्मित दुकानों व दुकानों के भूखण्ड	1,000/-	25,000/-	
4-	ग्रुप हाउसिंग	5,000/-	1,00,000/-	
5-	संस्थागत सम्पत्तियाँ	5,000/-	1,00,000/-	
6-	क्रम संख्या-3 के अतिरिक्त अन्य समस्त व्यवसायिक सम्पत्तियों पर	5,000/-	1,00,000/-	

अतिरिक्त/दण्डब्याज से पूर्ण मुक्ति तथा मूल्य की गणना साधारण ब्याज पर

आवेदन प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर निस्तारण

साठ दिनों में दो भागों में बकाया धनराशि को जमा करने की सुविधा

आवेदन-पत्र के साथ आवेदक को पता लिखे 2 लिफाफे संलग्न करना होगा।

आवेदक सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालयों में उपलब्ध प्रारूप पर आवेदन कर सकते हैं।

आवास आयुक्त

IS 15700:2005



सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ.

वेबसाइट: <http://www.upavp.com> ई-मेल: info@upavp.com



शिकायतों व समस्याओं के निस्तारण हेतु
जन सुविधा केन्द्र के नंबरों पर सम्पर्क करें

1800-180-5333 (टोल फ्री) 0522-2236803

यह सेवा प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक उपलब्ध है।